तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.68/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
23.8.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी नारायणलाल कलबी पुत्र श्री हीराराम कलबी, जाति–कलबी, निवासी– पुरोहित वास, नई धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म सत्यम सुपर मार्केट, सत्यम प्लाजा, प्रजापत कॉलोनी के सामने, सत्यम नगर, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 17.6.2021 को फर्म सत्यम सुपर मार्केट, सत्यम प्लाजा, प्रजापत कॉलोनी के सामने, सत्यम नगर, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता नारायणलाल कलबी पुत्र श्री हीराराम कलबी, निवासी– पुरोहित वास, नई धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) का नमूना संख्या S-1428 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./376/Act/2021/474 दिनांक 24.6.2021 में मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित नही होने से प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर विधि सम्मत निस्तारण किया जा रहा है। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 17.6.2021 को समय 2.00 पी. एम. पर फर्म सत्यम सुपर मार्केट, सत्यम प्लाजा, प्रजापत कॉलोनी के सामने, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला–सिरोही पर गये। फर्म सत्यम सुपर मार्केट में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी नारायणलाल कलबी पुत्र हिराराम कलबी, जाति– कलबी, निवासी– पुरोहित वास, नई धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। जो खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) का आम जन को विक्रय करता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता नारायणलाल कलबी पुत्र हीराराम कलबी को गवाह श्री विशनसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय ......लगातार	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:06 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.68/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने उक्त फर्म सत्यम सुपर मार्केट की दुकान के अन्दर आम जन की बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) के 10–10 किलोग्राम के 5 सील्ड पैक बैग में से बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड) के एक सील्ड पैक बैग को खोलकर अच्छी तरह हिला मिलाकर उसमें से 4 किलोग्राम बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खरीदशुदा खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) की कीमत राशि रुपये 320/– (अक्षरे रुपये तीन सौ बीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता नारायणलाल कलबी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) को चार साफ, सूखें एवं खाली जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर चारों जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1428, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) के चारों पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1428 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। एक नमूना भाग के साथ खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) का मूल लेबल लगाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता नारायणलाल कलबी व गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता नारायणलाल कलबी व गवाह तथा श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.6.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक ....लगातार	

न्याया. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:06 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.68/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

17.6.2021 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सत्यम सुपर मार्केट, सत्यम प्लाजा, प्रजापत कॉलोनी के सामने, सरुपगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी नारायणलाल कलबी से खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) के नमूना संख्या S-1428 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./376/Act/2021/474 दिनांक 24.6.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) का नमूना मिथ्याछाप (misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) के क्रय बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी नारायणलाल कलबी पुत्र श्री हीराराम कलबी, जाति–कलबी, निवासी– पुरोहित वास, नई धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म सत्यम सुपर मार्केट, सत्यम प्लाजा, प्रजापत कॉलोनी के सामने, सत्यम नगर, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही द्वारा मिथ्याछाप (misbranded) खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (misbranded) खाद्य पदार्थ बासमती चावल (किचन किंग ब्राण्ड़) के विक्रय हेतु प्रतिवादी नारायणलाल कलबी पुत्र श्री हीराराम कलबी, जाति–कलबी, निवासी– पुरोहित वास, नई धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म सत्यम सुपर मार्केट, सत्यम प्लाजा, प्रजापत कॉलोनी के सामने, सत्यम नगर, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी नारायणलाल कलबी पुत्र श्री हीराराम कलबी, जाति–कलबी, निवासी– पुरोहित वास, नई धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 27.9.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:06 IST
Reason: SelfAttested